

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 जनवरी, 2020

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण



विषय सूची

सोमवार, 20 जनवरी, 2020

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

शोक प्रस्ताव

घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा
चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

(ख) सचिव द्वारा
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज—पत्र

सचिव द्वारा घोषणा

सरकारी संकल्प—

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन के संबंध में
अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना

हरियाणा विधान सभा
सोमवार, 20 जनवरी, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1,
चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 12.12 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता
की।

राज्यपाल महोदय का संक्षिप्त अभिभाषण

श्री अध्यक्ष : हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में, मैंने यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 20 जनवरी, 2020 को प्रातः 11:30 बजे हरियाणा विधान सभा को आंशिक रूप से संबोधित करने की कृपा की है। उन्होंने सदन को यह भी अवगत कराया है कि चूंकि यह सत्र एक विशेष विधेयक को पारित करने के लिए (यानी संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन के संबंध में) बुलाया गया है, इसलिए वह अपना विस्तृत अभिभाषण आज की बजाए आगामी बजट सत्र में करेंगे।

“माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीय सभासदों,

हरियाणा की चौदहवीं विधान सभा के विशेष सत्र तथा वर्ष 2020 के प्रथम सत्र में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं आप सबका तथा आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को वर्ष 2020 के दौरान खुशहाली एवं समृद्धि के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि नया वर्ष हमें जनसेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। जैसा आप सबको विदित है कि संविधान में 126वां संशोधन विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। इस संविधान संशोधन विधेयक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 खंड (2) डी के अंतर्गत विधान सभा द्वारा अनुसमर्थन करने हेतु विचार किया जाना है और इस संबंध में लिए गए निर्णय से राज्यसभा सचिवालय को समयबद्ध रूप से अवगत कराया जाना है। चूंकि यह सत्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है अतः मैं आज विस्तृत अभिभाषण नहीं करूंगा, मैं अपना विस्तृत अभिभाषण आगामी बजट सत्र में करूंगा। जय हरियाणा—जय हिंद।”

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्य मंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे। **मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियाँ इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, ऐसी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं सदन के सामने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ :—

श्री ईश्वर दयाल स्वामी, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ईश्वर दयाल स्वामीके 15 दिसम्बर, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी का जन्म 11 अगस्त, 1929 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 1999 में लोक सभा के सदस्य चुने गए तथा 13 अक्टूबर, 1999 को केन्द्रीय राज्य मंत्री बने। वे वर्ष 1949 में भारतीय वायुसेना में पायलट ऑफिसर के पद पर भी नियुक्त हुए थे। वे विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री एवं संसद सदस्य

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री एवं भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला के 20 जनवरी, 2020 यानी आज ही हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 24 मार्च, 1932 को हुआ था। वे वर्ष 1967, 1977, 1982, 1991 और 2005 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा 4 बार मंत्री बने। वे हरियाणा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 1992 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे किसान, गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री हेतराम, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री हेतराम के 15 जनवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 जनवरी, 1949 को हुआ। वे वर्ष 1988 तथा 1989 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक – संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अश्विनी कुमार, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री अश्विनी कुमार के 18 जनवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 11 जून, 1956 को हुआ। वे वर्ष 2014 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे पंजाब के सरी के मुख्य संपादक थे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से देश एक योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री निहाल सिंह, गांव करीरा, जिला महेन्द्रगढ़।
2. सरदार तारा सिंह, गांव बीड़ बबरान, जिला हिसार।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता है और शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. सूबेदार मेजर प्रकाश चंद, गांव बजाड़, जिला महेन्द्रगढ़।
2. जूनियर वारंट ऑफिसर गोबिन्द सिंह, गांव पाथेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
3. हवलदार सुमेर सिंह, गांव पाथेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
4. हवलदार जयपाल, गांव अमरौली, जिला पलवल।
5. हवलदार निर्मल सिंह, गांव धानुपुरा, जिला यमुनानगर।
6. एल.ए.सी. चिरागनैन, गांव नौदा खुर्द, जिला जींद।
7. लांस नायक तेजपाल, गांव खलीलपुर, जिला गुरुग्राम।
8. सिपाही नवीन, गांव नांगल पीपा, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही अमित, गांव मुंदसा, जिला झज्जर।
10. सिपाही सत्यवान, गांव जाखौदा, जिला झज्जर।
11. सिपाही प्रवेश, गांव सुरेहती, जिला झज्जर।
12. सिपाही कुशल पाल सिंह, गांव कालरम, जिला करनाल।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता है और शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यहसदन

शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल के चचेरे भाई, श्री सतबीर;
 कृषि मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल के पिता, कैप्टन कर्ण सिंह दलाल;
 विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा की सास, श्रीमती सुमिला देवी;
 विधायक श्रीसुभाष गांगोली की माता, श्रीमती सोना देवी;
 पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री ईश्वर दयाल स्वामी की पत्नी, श्रीमती पदमा स्वामी;
 पूर्व सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला के भाई, श्री देवेन्द्र सिंह;
 पूर्व मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की सास, श्रीमती उर्मिला डाबडा;
 तथा

पूर्व विधायक श्री सोमवीर सिंह के भाई, श्री ओम प्रकाश, के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला—किलोई) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में पढ़े हैं, उनमें मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी शामिल करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ईश्वर दयाल स्वामी के 15 दिसम्बर, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। श्री ईश्वर दयाल स्वामी का जन्म 11 अगस्त, 1929 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 13 अक्टूबर, 1999 को केन्द्रीय राज्य मंत्री बने। वे वर्ष 1949 में भारतीय वायु सेना में पायलट ऑफिसर के पद पर भी नियुक्त हुए थे। वे विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा इस महान सदन को बताना चाहूँगा कि श्री ईश्वर दयाल स्वामी की धर्मपत्नी के स्वर्गवास होने पर मैं इनसे मिला था और कुछ दिनों के बाद इनका भी स्वर्गवास हो गया, इसलिए इनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के आज दिनांक 20.01.2020 को एम्स, दिल्ली में हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 24 मार्च, 1932 को हुआ था। वे पांच बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे और वर्ष 1993 में राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। अध्यक्ष महोदय, उनकी रुचि कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक थी, इसलिए वे तीन—चार बार आई. सी.ए.आर. (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के मैम्बर भी रहे। वे अपने राजनीतिक जीवन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और वे इस महान सदन में विपक्ष के नेता और सी.एल.पी. के नेता भी रहे। अध्यक्ष महोदय, वे हरियाणा सरकार

मैं सिंचार्ड एवं बिजली मंत्री भी रहे, जिसके चलते उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए। मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया। अध्यक्ष महोदय, जब मैं लोकसभा का सदस्य था तब वे राज्य सभा के सदस्य भी थे। वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से भूतपूर्व संसद सदस्य श्री हेत राम के 15 जनवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 5 जनवरी, 1949 को हुआ। वे वर्ष 1988 तथा 1989 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। इनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से भूतपूर्व संसद सदस्य श्री अश्विनी कुमार के 18 जनवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 11 जून, 1956 को हुआ। वे वर्ष 2014 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे पंजाब केसरी के मुख्य संपादक थे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। अध्यक्ष महोदय, वे क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे और उन्होंने चार—पांच बार रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया। वे आर्य समाज परिवार से संबंध रखते थे। इनका पूरा परिवार देश की आजादी से पहले पंजाब प्रांत का एक प्रमुख परिवार हुआ करता था। अध्यक्ष महोदय, इनके दादा जी और पिता जी को आतंकवादियों ने मार डाला था। व्यक्तिगत तौर पर वे मेरे घनिष्ठ मित्र भी थे। इनके निधन से देश एक योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। अब तो वे बहुत थोड़े से ही रह गए हैं।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री निहाल सिंह, गांव करीरा, जिला महेन्द्रगढ़।
2. सरदार तारा सिंह, गांव बीड़ बबरान, जिला हिसार।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूं और शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को भी अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार से हैं :—

1. सूबेदार मेजर प्रकाशचंद, गांव बजाड़, जिला महेन्द्रगढ़।
2. जूनियर वारंट ऑफीसर गोबिन्द सिंह, गांव पाथेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
3. हवलदार सुमेर सिंह, गांव पाथेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
4. हवलदार जयपाल, गांव अमरौली, जिला पलवल।
5. हवलदार निर्मल सिंह, गांव धानुपुरा, जिला यमुनानगर।
6. एल.ए.सी. चिराग नैन, गांव दानौदा खुर्द, जिला जींद।
7. लांस नायक तेजपाल, गांव खलीलपुर, जिला गुरुग्राम।
8. सिपाही नवीन, गांव नांगल पीपा, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही अमित, गांव मुंदसा, जिला झज्जर।
10. सिपाही सत्यवान, गांव जाखौदा, जिला झज्जर।
11. सिपाही प्रवेश, गांव सुरेहती, जिला झज्जर।
12. सिपाही कुशल पाल सिंह, गांव कालरम, जिला करनाल।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से इन वीरों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता हूं और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल के चचेरे भाई श्री सतबीर, कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल के पिता कैप्टन कर्ण सिंह दलाल, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा की सास श्रीमती सुशीला देवी, विधायक श्री सुभाष गांगोली की माता श्रीमती सोना देवी, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ईश्वर दयाल स्वामी की पत्नी श्रीमती पदमा स्वामी, पूर्व सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला के भाई श्री देवेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की सास श्रीमती उर्मिला डाबड़ा तथा पूर्व विधायक श्री सोमवीर सिंह के भाई श्री ओमप्रकाश के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक—संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक—प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें।

मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक—संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया ।)

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं:—

1. श्री असीम गोयल, विधायक
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक

4. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे।

श्री सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, 2019, नवम्बर(प्रथम सत्र), 2019 तथा नवम्बर (द्वितीय सत्र), 2019 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है।

अगस्त सत्र, 2019

1. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2019।
2. मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019।

नवम्बर, (प्रथम सत्र), 2019

हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप कलोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019।

नवम्बर (द्वितीय सत्र), 2019

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019।

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूँ:-

“समिति की बैठक सोमवार, 20 जनवरी, 2020 को 10.00 बजे प्रातः माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार, को 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 1.30 बजे मध्याहन—पश्चात् स्थगित होगी।

सोमवार, 20 जनवरी, 2020 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 20 जनवरी, 2020 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा:—

**सोमवार, 20 जनवरी, 2020 को
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण
की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा
पूर्वात् सदन की बैठक होगी।**

1. शोक प्रस्ताव।
2. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
3. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
4. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
5. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज—पत्र।
6. सरकारी संकल्प।
7. कोई अन्य कार्य।
- 8.

श्री अध्यक्ष: अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।)

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे / पुनः रखेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज-पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूँ :—

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा
के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 117/एस.टी-2, दिनांकित
24 अक्टूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 118/एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 119/एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्टूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 120/एस.टी-2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 121 / एस.टी-2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 122/एस.टी-2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 123/एस.टी-2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 124 / एस.टी-2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 125/एस.टी-2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 126/एस.टी-2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 127/एस.टी-2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 128 / एस.टी-2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना / शुद्धिपत्र संख्या 25 / जी.एस.टी-2,
दिनांकित 15 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/जी.एस.टी-2, दिनांकित 8 मार्च, 2019।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/जी.एस.टी-2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/जी.एस.टी-2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/जी.एस.टी-2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/जी.एस.टी-2, दिनांकित 8 मार्च, 2019।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/जी.एस.टी-2, दिनांकित 8 मार्च, 2019।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी-2, दिनांकित 8 मार्च, 2019।

हारपाना नाम और रोपा पर जावाहियना, 2017 के बारे 188 प्र जवाह दो गइ अनुदान
के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45 / जी.एस.टी-2, दिनांकित
31 मार्च, 2019 ।

हरयाणा वारा आर रोपा कर आया। १५, २०१७ वर्ष वारा १०८ के उद्यान वर्ष १५ अक्टूबर के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या ४६ / जी.एस.टी-२, दिनांकित ३१ मार्च, २०१९ ।

हारपाना गांव आर रोपा पर जायानिवन, 2017 दग दारा 188 प्र जयान दग गइ अकदा
के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47 /जी.एस.टी-2, दिनांकित
31 मार्च, 2019 ।

हरयाणा नाल आर सपा कर जावागिवन, 2017 द्वारा 166 के जवाग पर गइ अपदा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हारपाना गांव आर रोपा पर जावानियना, 2017 दग्ध दारा 188 प्र जवान दग्ध गइ अकडा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हारपाना नाम और रोपा पर जावाहियना, 2017 के बारे 166 प्र जवाह दो गइ अनुदान
के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50 / जी.एस.टी-2, दिनांकित
31 मार्च, 2019 ।

हारयाणा माल आर सवा कर आधानयम, 2017 का धारा 166 के अधान का गई अपक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हारयाणा माल आर सवा कर आधानयम, 2017 का धारा 166 के अधान का गइ अपक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी-2, दिनांकित

के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 जनवरी, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 जनवरी, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 जनवरी, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 जनवरी, 2020 ।

पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 27 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार श्रम एवं रोजगार विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 82 / पी.ए. 16 / 65 / एस. 27 / 66, दिनांकित 20 अप्रैल, 1966 ।

हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 55 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 38 / सी. ए. 23 / 2010 / एस. 54 / 2018, दिनांकित 13 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 55 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 82 / सी. ए. 23 / 2010 / एस. 54 / 2019, दिनांकित 10 दिसम्बर, 2019 ।

हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट ।

हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1984 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2017–18 के लिए हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के पृथक–पृथक लेखों का विवरण ।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट ।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

सचिव द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सचिव, घोषणा करेंगे ।

श्री सचिव : महोदय, मैं संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन के संबंध में राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेजों की एक—एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

1. संयुक्त सचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2019;
2. लोक सभा में यथा प्रस्तुत संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन विधेयक, 2019 (अंग्रेजी तथा हिन्दी);
3. संसद के सदनों द्वारा यथा पारित संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन विधेयक, 2019 (अंग्रेजी तथा हिन्दी);
4. संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन विधेयक, 2019 पर लोकसभा डिबेट; तथा
5. संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन विधेयक, 2019 पर राज्य सभा डिबेट।

सरकारी संकल्पः—

संविधान के (एक सौ छब्बीसवें संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन के संबंध में

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ—

“That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of proviso to clause (2) of article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Bill, 2019, as passed by the both the House of Parliament.”

अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव को सर्व—सम्मति से पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

“That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of proviso to clause (2) of article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Bill, 2019, as passed by the both the House of Parliament.”

श्री अध्यक्ष : क्या इस प्रस्ताव पर कोई सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

“That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of proviso to clause (2) of article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Bill, 2019, as passed by the both the House of Parliament.”

(प्रस्ताव सर्व—सम्मति से पारित हुआ।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि दिनांक 21 जनवरी, 2020 तथा दिनांक 22 जनवरी, 2020 को हरियाणा विधान सभा में दो दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम दिनांक 21 जनवरी, 2020 को दोपहर बाद शुरू होगा तथा इस कार्यक्रम का समापन दिनांक 22 जनवरी, 2020 को श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा किया जायेगा। आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहें।

*12.41

माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चितकाल के स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सदन अनिश्चितकाल के लिए *स्थगित हुआ।)
